न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 181 / 2014

1. मीरा देवी पत्नी चिमनाराम –मृतक

1/1 नत्थूराम | पिसरान चिमनाराम जाति नायक निवासी 27 एफ एफ हाल
1/2 शंकरलाल | 1 एस वी एस एम(ए) तह0श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
1/3 कमलादेवी | जरिये मु0आम बंसीराम पुत्र चेतनराम जाति नायक निवासी 33
जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। ———अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।

2. नगरपालिका श्रीविजयनगर जरिये प्रबन्धक। ———रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 रा.भू.रा. अधि.1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

दिनांक 21.11.2012

उपस्थितिः–

श्री तेजासिंह , अभिभाषक अपीलांट

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

श्री राजीव जग्गा अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

निर्णय दिनांक :– 18.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा यह अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश कमांक एफ 12(3)( ) राजस्व / 12 / 8238 दिनांक 21.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के द्वारा श्रीकरणपुर, पदमपुर, अनूपगढ व श्रीविजयनगर की नगरपालिकाओं को भूमि हस्तांतरित करने के आदेश दिये हैं। अपीलांट ने यह अपील नगरपालिका श्रीविजयनगर को हस्तांतरित भूमि के सम्बन्ध में पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

18/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वकील अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि रकबा राज नहीं है बल्कि अपीलांट के कब्जा काश्त में है अधी. न्यायालय द्वारा बिना सुने आदेश पारित किया है जबकि वकील रेस्पों. का कथन है कि अपीलांट इस आदेश से प्रभावित नहीं है। राजकीय भूमि को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जा सकता है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक एफ 12(3)( ) राजस्व/12/8238 दिनांक 21.11.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की ओर से नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के माध्यम से जारी पत्र क्रमांक प. 3(54) निविवि/3/2011 दिनांक 26.09.2012 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दृष्टिगत नगरीय सीमाओं में स्थित राजकीय भूमियों राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2010 के प्रावधानों के अनुसार न्यास/प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों, नगरीय निकायों को तत्काल हस्तांतरण किया जावे।

उपशासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना सं. प. 6(9)राज–6/96 पार्ट–10 दिनांक 08.12.2010 में न्यास/प्राधिकरण एवं स्थानीय निकायों, नगरीय निकायों से पूंजीगत मुल्यों की 40 गुणा राशि नगरपालिकाओं से वसूल कर राजकीय भूमि नगरपालिकाओं को हस्तांतरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपशासन सचिव उपनिवेशन विभाग राज. जयपुर की ओर से जारी अधिसूचना क्रमांक प19(12) उप/05/दिनांक 19.11.2012 के द्वारा राजस्व(ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना सं. प 6(9) राज–6/96 पार्ट–10 दिनांक 08.12.2010 को उपनिवेशन क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है।

18/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अतः प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के मध्यनजर नगरीयकरण सीमाओं में स्थित निम्नांकित राजकीय भूमियों का हस्तांतरण नगरपालिकाओं को तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम नगर निकाय	नाम तहसील	ग्राम / चक का नाम	नगरपालिका / नगरविकास न्यास को हस्तांतरित भूमि का विवरण	कुल रकबा
6.	श्रीविजयनगर	श्रीविजयनगर	चक 29 जीबीए	प.नं. 182 / 412(44) –1.012है0	2.277है0
			चक 33 जी.बी.	प.नं. 181 / 420(48) –1.265है0	

यह आदेश राजकीय भूमियों को स्थानीय निकाय नगरपालिका श्रीविजयनगर को हस्तांतरित करने हेतु हुआ है जिसमें अपीलांट की कोई locus-standai नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर